

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(PWD)2018/एफसीए/प्रमुवसं./ 6085

दिनांक 24.05.2023

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय:-Diversion of forest land for constriction of Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda NH-12 in District-Bundi the state of Rajasthan.
(Proposal no FP/RJ/ROAD/29812/2017)

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक 2522 दिनांक 08.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ/स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:-

1. प्रेषित पालना के बिन्दु संख्या 2 की पालना अपूर्ण। लागत लाभ विश्लेषण NPV की प्रचलित दरों के आधार पर नहीं बनाया गया है।
2. प्रेषित पालना के बिन्दु संख्या 3 की पालना अपूर्ण। यूजर एजेन्सी द्वारा वन्यजीव स्वीकृति हेतु प्रस्ताव Under Process होना अवगत कराया है जबकि भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.08.2022 से वन्यजीव स्वीकृति की वर्तमान स्थिति चाही गयी है। यूजर एजेन्सी द्वारा इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में अंकन नहीं किया गया है।
3. प्रेषित पालना के बिन्दु संख्या 7 की पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक द्वारा पुनः निरीक्षण कर स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न की गयी है किन्तु मुख्य वन संरक्षक द्वारा उसे ऑनलाईन नहीं किया गया है।

अतः उक्त बिन्दुओं की पालना पूर्ण कराकर सूचना भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(PWD)2018/एफसीए/प्रमुवसं./ 6086-87

दिनांक 24.05.2023

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, बूंदी।
2. परियोजना निदेशक (PPP), सार्वजनिक निर्माण विभाग, कोटा।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)

अरण्य भवन, जयपुर